Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Anganbari Appeal No.- 09/2024

Ruby Kumari..Appellant

Versus

The State of Bihar & Ors......................................Respondents

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	03-5-2024	**—:आदेश:—** प्रस्तुत ऑगनबाड़ी अपील वाद न्यायालय, जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा विविध ऑगनबाड़ी अपील वाद सं0— 13/2023 में दिनांक— 26.09.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। अधिग्रहण के बिन्दु पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पश्ट होता है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया द्वारा वाद सं0—27/2019—20 में दिनांक— 24.12.19 को पारित आदेश के विरूद्ध समाहर्त्ता, अररिया के समक्ष पुनरीक्षण वाद सं0—01/2020 दायर किया गया। उक्त पुनरीक्षण वाद में आवेदिका की लगातार अनुपस्थिति के कारण दिनांक—25.02.2023 को उक्त वाद प्रमाद में खारिज (Dismiss for default)कर दिया गया। उक्त आदेश के पुनर्विचारण हेतु आवेदिका ने समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में विविध वाद सं0—13/2023 दायर किया, जिसे दिनांक—26.9.2023 को खारिज कर दिया गया। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को निरस्त करते हुए प्रस्तुत मामले को समाहर्त्ता, अररिया के समक्ष प्रति—प्रेशित(Remand) करते हुए निदेश दिया जाता है कि उभय पक्षो की सुनवाई कर गुण—दोश (Merit) के आधार पर समुचित आदेश पारित करेंगे। अपीलर्थी को अंतिम रूप से अवसर प्रदान करते हुए निदेश दिया जाता है कि निम्न न्यायालय में प्रत्येक निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर वाद के निश्पादन में समुचित सहयोग प्रदान करेगी। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं सशोधित आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णियॉ। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy, Not Official.